

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-14015/23/2009-अ.भा.से.(I)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशान मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

१० मार्च

मुद्रित, 2011


अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9

(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2008 की रिकियों पर उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उत्तराखण्ड संवर्ग में उनका आबंटन करती हैं :-

चयन सूची 2008(2008 की रिकियों पर)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	सी.एम.एस.बिष्ट
2.	प्रयोग सिंह जंगपंगी(अ.ज.जा.)
3.	चन्द्र सिंह नपालछयाल(अ.ज.जा.)
4.	डॉ मोहन चन्द्र जोशी


(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद

(हरियाणा).